



उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
संख्या-30/2026/992/94-1-2026-312(114)/2024
लखनऊ, दिनांक : 04 मई, 2026

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) की धारा 24 क के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 3 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अवक्रमित करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा उल्लिखित उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प को कार्यालय स्थापित करने के लिए उप महानिरीक्षक निबन्धन और उप आयुक्त स्टाम्प के निम्नलिखित वृत्त कार्यालय का गठन करते हैं और नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित प्रत्येक कार्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं को विहित करते हैं।

2- यह अधिसूचना गजट में इसके प्रकाशन के दिनांक में प्रभावी होगी।

अनुसूची

क्र० सं०	उप महानिरीक्षक निबन्धन एवं उपायुक्त स्टाम्प के वृत्त कार्यालय का नाम एवं मुख्यालय	उप महानिरीक्षक निबन्धन एवं उपायुक्त स्टाम्प के वृत्त की क्षेत्रीय सीमाओं का नाम
1	2	3
1	सहारनपुर	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली
2	मेरठ	मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़
3	गौतमबुद्धनगर	गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर
4	आगरा	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा
5	अलीगढ़	अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज
6	मुरादाबाद	मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, रामपुर
7	बरेली	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहांपुर
8	कानपुर	कानपुर नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात
9	लखनऊ	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव
10	सीतापुर	सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई
11	झांसी	झांसी, ललितपुर, जालौन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12	चित्रकूट धाम	चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा
13	अयोध्या	अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी
14	देवीपाटन	गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती
15	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर
16	प्रयागराज	प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर
17	वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर
18	मिर्जापुर	मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही
19	गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज
20	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ, बलिया

- 1- उप महानिरीक्षक निबन्धन एवं उपायुक्त स्टाम्प का एक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प के लखनऊ स्थित शिविर कार्यालय में होगा।
- 2- उप महानिरीक्षक निबन्धन एवं उपायुक्त स्टाम्प का एक कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन एवं आयुक्त स्टाम्प के प्रयागराज स्थित कार्यालय में होगा।
- 3- उप महानिरीक्षक निबन्धन एवं उपायुक्त स्टाम्प का एक कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के अधीन होगा।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-30/2026/992(1)/94-1-2026-312(114)/2024 दिनांक: 04 मई, 2026

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे **दिनांक 04 मई, 2026** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-30/2026/992(2)/94-1-2026-312(114)/2024 दिनांक: 04 मई, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/ शिविर लखनऊ।
2. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर महानिरीक्षक निबन्धन, (पू०क्षे०)/ (प०क्षे०) गाजियाबाद/ प्रयागराज।
5. समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-1**

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 30/2026/992/94-1-2026-312(114)/2024 dated 04 May, 2026:

Notification

No. 30/2026/992/94-1-2026-312(114)/2024

Lucknow: Dated: 04 May, 2026

In exercise of the powers conferred by Sub-Section(3) of section 3 of the Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. X of 1897), and read with Section 24-A of the Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870), and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to form the circle offices of Deputy Inspector General of Registration and Deputy Commissioner of Stamps to establish the offices of Deputy Inspector General of Registration and Deputy Commissioner of Stamps as mentioned in Column 2 of the Schedule below, and to prescribe the territorial limits of each office as mentioned in column 3 of the Schedule below.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Gazette.

SCHEDULE

S. N.	Name and Headquarter of the Circle Office of the Deputy Inspector General of Registration and Deputy Commissioner of Stamps	Name of the territorial limits of the Circle of the Deputy Inspector General of Registration and Deputy Commissioner of Stamps
1	2	3
1	Saharanpur	Revenue district of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli
2	Meerut	Meerut, Baghpat, Ghaziabad, Hapur
3	Gautam Buddha Nagar	Gautam Buddha Nagar, Bulandshahr
4	Agra	Agra, Firozabad, Mainpuri, Mathura
5	Aligarh	Aligarh, Etah, Hathras, Kasganj
6	Moradabad	Moradabad, Amroha, Bijnor, Sambhal, Rampur
7	Bareilly	Bareilly, Badaun, Pilibhit, Shahjahanpur
8	Kanpur	Kanpur Nagar, Etawah, Farrukhabad, Kannauj, Auraiya, Kanpur Dehat

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9	Lucknow	Lucknow, Rae Bareli, Unnao
10	Sitapur	Sitapur, Lakhimpur Kheri, Hardoi
11	Jhansi	Jhansi, Lalitpur, Jalaun
12	Chitrakoot Dham	Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba, Banda
13	Ayodhya	Ayodhya, Barabanki, Sultanpur, Ambedkar Nagar, Amethi
14	Devipatan	Gonda, Balrampur, Bahraich, Shravasti
15	Basti	Basti, Siddharth Nagar, Sant Kabir Nagar
16	Prayagraj	Prayagraj, Kaushambi, Pratapgarh, Fatehpur
17	Varanasi	Varanasi, Chandauli, Ghazipur, Jaunpur
18	Mirzapur	Mirzapur, Sonbhadra, Bhadohi
19	Gorakhpur	Gorakhpur, Deoria, Kushinagar, Maharajganj
20	Azamgarh	Azamgarh, Mau, Ballia

1. One office of the Deputy Inspector General of Registration and Deputy Commissioner of Stamps shall be located at the Camp Office of the Inspector General of Registration and Commissioner of Stamps, Lucknow.
2. One office of the Deputy Inspector General of Registration and Deputy Commissioner of Stamps shall be located at the Head Office of the Inspector General of Registration and Commissioner of Stamps, Prayagraj.
3. One office of the Deputy Inspector General of Registration and Deputy Commissioner of Stamps shall be situated under the Government of Uttar Pradesh at Lucknow.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।